रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 463] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 2015/श्रावण 1, 1937
No. 463] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 2015/SHRAVANA 1, 1937

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 576(अ).–राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए :–

(1) उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, हिसार (कृषि एवं सहकारिता विभाग समूह 'ग' और 'घ' पद) भर्ती नियम, 1989 को, जहाँ तक उनका संबंध ज्येष्ठ प्रशिक्षण सहायक के पद से है।

(2) दक्षिणी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, गार्लेदिन्ने, अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) अनुदेषक समूह 'ख' भर्ती नियम, 1996।

(3) केन्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, बुदनी (कृषि एवं सहकारिता विभाग) समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2000 को, जहाँ तक उनका संबंध आरेखकार ग्रेड I के पद से है।

(4) केन्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, बुदनी (कृषि एवं सहकारिता विभाग) समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2002 को, जहाँ तक उनका संबंध ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (उपकरण) के पद से है।

(5) फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (कृषि एवं सहकारिता विभाग) समूह 'क' और समूह 'ख' राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2009 को, जहाँ तक उनका संबंध ज्येष्ठ तकनीकी सहायक के पद से है;

उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों में समूह 'ख' (अराजपत्रित) तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, समूह 'ख' (अराजपत्रित) तकनीकी पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**–ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**–उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं, आदि.**–उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **आरंभिक गठन.**–नियमित आधार पर वह पदधारी जो ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (उपकरण) और अनुदेषक अब पुनः पदित ज्येष्ठ तकनीकी सहायक [उत्तर पूर्वी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के ज्ञापन संख्या क्रमषः 3–10/2010–पी. एफ–1400 तारीख 22 नवम्बर, 2010 और 2–3/2008–स्था.–237 तारीख 31 मई, 2012, के अनुसरण में, निर्दिष्ट किया गया है और उनको इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया समझा जाएगा तथा उनके द्वारा इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले उस पद पर की गई निरंतर सेवा प्रोन्नति और परीवीक्षा के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा हेतु गणना में ली जाएगी।

6. **निरर्हता.**–वह व्यक्ति.–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति.**–जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवष्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृत्ति.**–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

vu|lph

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ज्येष्ठ तकनीकी सहायक.	18*(2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है.	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह (ख) अराजपत्रित, अननुसचिवीय.	वेतन बैंड– 2, रुपये 9300–34800. ग्रेड वेतन रुपये 4200	चयन.	30 वर्ष से अधिक न हो **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है);

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्यः मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि इंजीनियरिंग या यांत्रिकी इंजीनियरिंग में डिग्री। **टिप्पणी 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : नहीं।	सीधी भर्ती किये गये एवं प्रोन्नत व्यक्तियों के लिये 2 वर्ष।	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति : **वेतन बैंड–1**, 5200–20200 रूपये और ग्रेड वेतन 2800 रूपये में ऐसे तकनीकी सहायक, जिन्होंने उस ग्रेड में छः वर्ष की नियमित सेवा की हो, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र से परीक्षण, ट्रैक्टरों और कृषि यंत्रों या मशीनरी के प्रचालन या रख–रखाव का दो सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2.** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले उस या तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तरित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन ऐसे अधिकारी – (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड–1 में, 5200–20200 रूपये और ग्रेड वेतन 2800 रूपये में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में छः वर्ष सेवा की है; और (ख) सीधी भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे. इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहॉं एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है, और वहॉं यह फायदा केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :– (1) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान – अध्यक्ष; (2) अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग – सदस्य; (3) प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान – सदस्य. विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :– (1) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान – अध्यक्ष; (2) अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग – सदस्य; (3) प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान – सदस्य.	अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (उपकरण).	02*(2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है.	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय.	वेतन बैंड – 2, रूपये 9300–34800 ग्रेड वेतन रूपये 4200	लागू नहीं होता.	30 वर्ष से अधिक न हो **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैण **टिप्पण 2:** आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त

					करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)ण

(7)	(8)
अनिवार्यः (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रॉनिक्स या उपकरण प्रौद्योगिकी में डिग्री। या (ख)(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रॉनिक्स या उपकरण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा। (ii) सरकारी विभाग या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या स्वायत्त संगठन या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान से स्वचालित मापन और नियंत्रण करने के लिए और इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को स्थापित और संचालित करने, व्यास मापन और रख–रखाव का दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी 1** : अहर्ताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पणी 2** : अनुभव संबंधी अहर्ताएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण** : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा :– (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड–1 5200–20200 रूपये में + ग्रेड वेतन 2800 रूपये में या समतुल्य नियमित आधार पर उस पद पर छः वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं।	लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :– (1) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान – अध्यक्ष; (2) अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग – सदस्य; (3) प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3. नक्शानवीस श्रेणी I	01´(2015) ´कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन बैंड.2, रूपये 9300–34800 . ग्रेड वेतन रूपये 4200	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिये 2 वर्ष।	मिश्रित पद्धति द्वारा। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) एवं प्रोन्नति मिलाकर।

(11)	(12)	(13)
मिश्रित प्रद्धतिः प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या प्रोन्नतिः केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों या अर्द्ध–सरकारी या स्वायत्त और कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी – (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड–1, 5200–20200 रूपये और ग्रेड वेतन 2800 रूपये में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में छः वर्ष सेवा की है; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं: (i) जिन्होंने मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नक्शानवीस (यांत्रिकी) में डिप्लोमा प्राप्त किया हुआ हो; (ii) जिन्होंने किसी संगठन से इस क्षेत्र में सात वर्ष का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया हो।	लागू नहीं होता।	प्रत्येक नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्त व्यक्तियों सहित विभागीय नक्शानवीस श्रेणी II जिन्होंने वेतन बैण्ड—1, 5200—20200 रूपये और ग्रेड वेतन 2800 रूपये में नियमित आधार पर उस ग्रेड में छः वर्ष सेवा की है पर भी विचार किया जायेगा और यदि वह इस पद के लिये नियुक्त हो जाते हैं तो यह नियुक्ति प्रोन्नति द्वारा मानी जायेगी। प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या प्रोन्नति पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है, और वहाँ यह फायदा केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।		

स्पष्टीकरण टिप्पणी : ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। तथापि, नियम 5 विद्यमान पदधारी की सेवाओं को नियमित करने की दृष्टि से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा और यह प्रमाणित किया जाता है कि नियम 5 भूतलक्षी प्रभाव से लागू होने पर किसी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. 13—3/2012—एम. एवं टी. (प्रषा.)]

बी. बी. भगत, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2015

G.S.R. 576(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the:—

(1) Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hissar (Department of Agriculture and Cooperation Group 'C' and 'D' Posts) Recruitment Rules, 1989 in so far as they relate to the post of Senior Training Assistant;

(2) Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Garladinne, Anantapur (Andhra Pradesh) Instructor Group 'B' Recruitment Rules, 1996;

(3) Central Farm Machinery Training and Testing Institute, Budni (Department of Agriculture and Cooperation) Group 'C' and Group 'D' Posts Recruitment Rules, 2000 in so far as they relate to the post of Draughtsman Grade I;

(4) Central Farm Machinery Training and Testing Institute, Budni (Department of Agriculture and Cooperation), Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2002 in so far as they relate to the post of Senior Technical Assistant (Instrumentation);

(5) Farm Machinery Training and Testing Institute (Department of Agriculture and Cooperation) Group 'A' and Group 'B' Gazetted Post Recruitment Rules, 2009 in so far as they relate to the post of Senior Technical Assistant;

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'B' (Non-Gazetted) Technical posts in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, in the Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute, Group 'B' (Non-Gazetted) Technical posts Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.–**These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scal**e.–The number of said post, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**–The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Initial Constitution.–** The incumbents holding the posts of Senior Technical Assistant (Instrumentation) and Instructor, now re-designated as Senior Technical Assistant, on regular basis [in pursuance of North Eastern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Memoranda numbers 3-10/2010-PF-1400 dated 22th November, 2010 and 2-3/2008-Estt.-237 dated 31st May, 2012, respectively] on the date of issue of this notification, shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules and their continuous service in the post immediately before the commencement of these rules shall be taken into account for the purpose of qualifying service for probation and promotion.

6. **Disqualification.–**No person.-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.–**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.**–Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay Band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Senior Technical Assistant.	18* (2015) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B', Non-Gazetted, Non-ministerial	Pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200.	Selection.	Not exceeding 30 years. **Note 1:** Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential : Degree in Agricultural Engineering or Mechanical Engineering from a recognized University or Institute.	Age- No Educational Qualification: No	Two years for direct recruits and promotees.	(i) 50 per cent by promotion failing which by deputation; (ii) 50 percent by direct recruitment

Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.			

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation /absorption to be made.
(11)
Promotion : Technical Assistant in the Pay band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2800 with six years regular service in the grade and have successfully completed two weeks of training in testing, operation or maintenance of tractors and agricultural implements or machinery from the Indian Council of Agricultural Research or Agricultural University or Krishi Vigyan Kendra. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Deputation :** The officers under the Central Government or state government or union territory administrations:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band -1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily, not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation should not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3 :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute —Chairman (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Coopoperation —Member (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute —Member Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute —Chairman (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.

(3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute —Member	- Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Senior Technical Assistant (Instru-mentation).	02* (2015) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B', Non-Gazetted, Non-ministerial.	Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200.	Not applicable.	Not exceeding 30 years. **Note 1:** Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(7)	(8)
Essential:- (A). Degree in Electronics or Instrumentation Technology from a recognized University or institute. Or (B) (I) Diploma in Electronics or Instrumentation Technology from a recognised University or institute. (II) Two years experience in operation, installation, calibration and maintenance of electronic instruments for automatic measurement and control in a Government department or Public Sector undertaking or in a University or autonomous organisation or in a recognised research institution. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of Staff Selection Commission or competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the required experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not Applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years.	By Direct Recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by deputation from officers under the Central Government:— (a) (i) Holding analogous post on a regular basis in the parent	Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (For considering confirmation) consisting of :— (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute — Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation — Member; (3) Administrative Officer or Head of — Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

	cadre or department; or (ii)with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-1 of Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualification and experience prescribe for direct recruits under column (7).		the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Draughtsman Grade I.	1* (2015) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-ministerial.	Pay band -2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for promotees.	By composite method. Deputation (including short term contract) plus promotion.

(11)	(12)	(13)
Composite method: Deputation (Including Short Term Contract) or Promotion : Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or Recognized Research Institutions or councils or Semi-Government or Autonomous or Statutory organizations : (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Diploma in Draughtsmanship (Mechanical) from a recognized University or Institute; (ii) Seven years practical experience in the line in an organisation. **Note 1 :** The Departmental Draughtsman Grade II in pay band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2800 with six years regular service in the grade will also be considered along with deputationists and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by	Not applicable	Consultation with Union Public service Commission necessary on each occasion

promotion. Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 :** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. ***Note 3* :** For purposes of appointment on deputation (including short-term contract) or promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

Explanatory Note: These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette. However, rule 5 shall come into force with retrospective effect with a view to regularise the services of the existing incumbents and it is certified that by giving retrospective effect to rule 5, no one is likely to be adversely affected.

[F. No. 13-3/2012-M&T (Admn.)]

B. B. BHAGAT, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.